"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मई 2007—वैशाख 31, शक 1929

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-25/2005/13/2.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) सहपठित धारा 103 की उपधारा (1) व (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—** (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि का गठन एवं निधि के उपयोग की रीति) नियम, 2007" कहलायेंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

-49-

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र0 36 सन् 2003);

(ख) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष;

(ग) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ;

(घ) **"आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0)"** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे नियम 5 के संदर्भ में आयोग द्वारा राशि आहरित करने हेतु व आयोग की तरफ से भुगतान करने हेतु अधिकृत किया गया है;

(ङ.) **"निधि"** से अभिप्रेत है, नियम 3 के अनुरूप अधिनियम की धारा 103 के अध्यधीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के लिए संस्थापित निधि;

(च) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(छ) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य;

(ज) **"सचिव"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सचिव;

(झ) **"वित्तीय वर्ष"** से अभिप्रेत है, एक वर्ष के एक अप्रैल से प्रारम्भ व अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त बारह महीने से अनधिक अवधि;

(ञ) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है — इन नियमों में संलग्न प्ररूप;

(ट) **"लेखा वर्ष"** से अभिप्रेत है, ऐसी अवधि जिसके लिए आयोग को लेखा तैयार करना है, जो वित्तीय वर्ष से समवर्ती होगी।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जिनका प्रयोग इन नियमों में किया गया है, किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, का अभिप्राय वही होगा जो अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र0 36 सन् 2003) में उन्हें दिया गया है।

3. **निधि की संस्थापना** :— (1) राज्य सरकार, एतदद्वारा, एक निधि की संस्थापना करती है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि कहलायेगी।

(2) निधि का मुख्य लेखा किसी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में संधारित किया जायेगा एवं सहायक लेखे उस बैंक की ऐसी शाखाओं में संधारित किए जायेंगे जैसा आयोग उचित समझे।

(3) आयोग नामांकित बैंक की सूचना व अभिलेख हेतु इसके दो अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उपलब्ध कराएगा।

(4) नामांकित बैंक दैनिक भुगतान एवं प्राप्ति स्क्रॉल आयोग को उपलब्ध कराएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान स्क्रॉल में दर्शित धनादेश आयोग द्वारा जारी किए गए हैं तथा प्रत्येक लेन—देन का मिलान सुनिश्चित करेगा।

4. **निधि का गठन** :— निधि में निम्नलिखित राशियां सम्मिलित होंगी — (1) अधिनियम की धारा 102 के अधीन राज्य सरकार द्वारा आयोग को प्रदत्त सभी अनुदान एवं ऋण।

(2) आयोग द्वारा अधिनियम के अध्यधीन प्राप्त समस्त अनुज्ञप्ति शुल्क, याचिका शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, अर्थदण्ड एवं शास्तियां

(3) राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य स्त्रोतों से आयोग को प्राप्त समस्त राशि।

5. **निधि का प्रचालन** :— (1) निधि का प्रचालन आयोग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो उपसचिव से निम्न स्तर का नहीं होगा और जिसे आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय—समय पर नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। बैंक लेखे से आहरण केवल आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित धनादेश के प्रस्तुतीकरण पर ही होगा।

(2) आहरण एवं संवितरण अधिकारी पर आयोग की ओर से प्राप्तियों एवं भुगतानों के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व होगा।

(3) आहरण एवं संवितरण अधिकारी पर यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि बैंक में जमा करवाये गए धनादेश/मांग

धनपत्र (डिमांड ड्राफ्ट) यथासमय आयोग के लेखे में समाकलित हो गये हैं। तथा वह समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों का मिलान कर समाधान करेगा।

6. **बजट** :— आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपना आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्ररूप I तथा प्ररूप II में आयोग की अनुमानित प्राप्तियों तथा आयोग द्वारा किये जाने वाले अनुमानित व्ययों को दर्शातु हुए तैयार करेगा तथा उसे चालू वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर के पूर्व राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग को अग्रेषित करेगा।

7. **निधि का उपयोग** :— (1) निधि का उपयोग आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के बैठक में अप्रयुक्त वेतन, भत्तों, पेंशन एवं अन्य पारिश्रमिक के भुगतान हेतु, अधिनियम की धारा 103 की उपधारा की कंडिका (अ) के प्रावधानों के अध्यधीन किया जायेगा।

(2) आयोग को बैठक की निधि का उपयोग, अधिनियम की धारा 86 में सौंपे गए कृत्यों के संबंध में होने वाले व्ययों के भुगतान हेतु तथा अधिनियम द्वारा बैठक के अधिकृत उद्देश्यों व ध्येयों पर होने वाले व्ययों के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम 6 के अध्यधीन प्रस्तुत वित्तीय वर्ष के बजट के अनुसार, करने का अधिकार होगा। व्ययों की मदों का विवरण नियम के साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

(3) अनुमोदित बजट से अधिक कोई भी व्यय का भुगतान आयोग अपने स्वयं के संसाधनों से करेगा।

(4) वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात आयोग विधिवत संपरीक्षित लेखा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

8. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** :— विभिन्न व्ययों की स्वीकृति हेतु शक्तियों को, आयोग, अध्यक्ष तथा सचिव के मध्य सौंपने हेतु आयोग विस्तृत प्रक्रिया बनायेगा।

9. **लेखा** :— (1) आयोग के लेखे, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखे, लेखा संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार संधारित किये जायेंगे।

(2) आयोग के लेखों पर आयोग के अध्यक्ष, एक सदस्य जो वित्तीय कार्यक्षेत्र में हो, तथा सचिव द्वारा प्रमाणीकृत किया जायेगा।

10. **लेखा संपरीक्षा** :— (1) आयोग द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत किये गये लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा इस लेखा संपरीक्षा के संबंध में किया गया व्यय आयोग द्वारा देय होगा।

(2) इस लेखा संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को वैसे ही अधिकार, सहूलियतें तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को शासकीय लेखाओं के संबंध में प्राप्त होते हैं, विशेषतः बहियों, लेखाओं, संबंधित प्रमाणकों, प्रपत्रों व अन्य पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करना तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करना।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित आयोग के लेखे उन पर लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रतिवर्ष राज्य सरकार को 30 सितम्बर तक आयोग द्वारा प्रेषित किये जायेंगे, ताकि राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखा जा सके।

11. **निधि का समापन** :— (1) निधि तब तक प्रचालन में रहेगी जब तक अधिनियम के सुसंगत प्रावधान लागू रहते हैं।

(2) निधि के अव्ययीन व्यय न की गई समस्त शेष राशियां जब निधि की आगे और आवश्यकता न हो, तत्काल शासकीय लेखे में प्रेषित कर दी जायेंगी।

12. **प्रकीर्ण** :— इन नियमों के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने की दशा में अथवा किसी विशेष विषय—वस्तु के बारे में नियमों में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में राज्य सरकार के समक्ष प्रकरण रखा जायेगा तथा इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2007

क्रमांक एफ 15-25/2005/13/2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-25/2005/13/2, दिनांक 18-5-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

53
53

अनुसूची

व्यय की मदों का विवरण नियम 7 (2) के अनुसार

1. **वेतन एवं भत्ते**
   - 1.1 अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
   - 1.2 अधिकारियों तथा स्थापना के वेतन एवं भत्ते
   - 1.3 कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते
   - 1.4 मानदेय
   - 1.5 ओव्हरटाईम भत्ता
   - 1.6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं
   - 1.7 बोनस

   अन्य स्थापना प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)
2. **व्यावसायिक शुल्क एवं अन्य सेवाओं हेतु भुगतान।**
3. **यात्रा व्यय**
   - 3.1 स्वदेशीय यात्राए — अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी
   - 3.2 विदेश यात्राएं — अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी
4. **अन्य प्रशासकीय व्यय**
   - 4.1 दूरभाष एवं फैक्स
   - 4.2 भाड़ा, दर, कर
   - 4.3 समाचार पत्र एवं पिरियॉडिकल
   - 4.4 विज्ञापन एवं प्रकाशन
   - 4.5 डाक एवं तार
   - 4.6 लिवरीज
   - 4.7 जल एवं विद्युत
   - 4.8 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
5. **लेखन–सामग्री एवं मुद्रण**
   - 5.1 लेखन सामग्री
   - 5.2 मुद्रण

6. **प्रकाशन**

7. **प्रकीर्ण एवं अन्य व्यय**

8. **मरम्मत एवं संधारण**

   8.1 भवन

   8.2 यंत्र एवं उपकरण

   8.3 उपस्कर एवं जुड़नार

   8.4 वाहन

9. **पेट्रोल एवं ल्यूब्रीकेंट्स**

10. **सत्कार व्यय**

11. **लेखा संपरीक्षा शुल्क**

12. **विधिक प्रभार**

13. **भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान**

   13.1 पेंशन एवं ग्रेच्युटी (पेंशन के कम्यूटेड मूल्य सहित)

   13.2 सी0पी0एफ0 में अंशदान

   13.3 निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना

   13.4 पेंशन अंशदान

   13.5 अवकाश वेतन अंशदान

   13.6 ग्रेच्युटी अंशदान

14. **ब्याज**

   14.1 जी0पी0एफ0 पर ब्याज

   14.2 सी0पी0एफ पर ब्याज

   14.3 अन्य (निर्दिष्ट करें)

15. **समूह बीमा योजना**

15.1	सी0जी0ई0जी0आई0एस0	बचत निधि
		बीमा निधि
15.2	सी0जी0जी0आई0एस0	बचत निधि
		बीमा निधि

16. **मूल्यह्रास**

17. आस्तियों के विक्रय पर हानि
18. अशोध्य ऋण अपलेखित
19. आय का व्यय पर आधिक्य (निधि में अंतरित)
20. देय बकाया व्यय।

प्ररूप – I

(नियम 6 देखिए)

पुनरीक्षित अनुमान वर्ष ....तथा बजट अनुमान वर्ष ....

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

प्राप्तियां	वास्तविक वर्ष	बजट अनुमान वर्ष	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष	बजट अनुमान वर्ष ....
1. राज्य सरकार से अनुदान		रू.	रू.	रू.
2. राज्य से ऋण				
3. शुल्क				
(i) अनुज्ञप्ति पर शुल्क				
(ii) याचिकाओं पर शुल्क				
4. अर्थदण्ड				
5. निवेशों से आय				
6. प्रकीर्ण / अन्य				
महायोग				

प्ररूप — II

(नियम 6 देखिए)

व्यय	बजट अनुमान वर्ष	वास्तविक वर्ष	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष	बजट अनुमान वर्ष ....
वेतन				
मूल वेतन				
मंहगाई भत्ता				
गृह भाड़ा एवं अन्य				
तदर्थ बोनस				
प्रकीर्ण (बकाया वेतन आदि)				
कुल वेतन				
मजदूरी				
यात्रा व्यय				
कार्यालयीन व्यय				
भाड़ा, दर एवं कर				
संधारण				
मुख्य / लघु कार्य				
व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान				
वाहनों पर व्यय				
कार्यालयीन उपकरण				
प्रकीर्ण अन्य भुगतान				
योग				

Raipur, the 18th May 2007

NOTIFICATION

No. F 15-25/2005/13/2.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 180 read with sub-section (1) and (3) of section 103 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government hereby makes the following rules namely :-

RULES

1. **Short title and Commencement:-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Constitution of fund and the manner of application of fund) Rules, 2007.

   (2) these rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** :- In these rules unless the context otherwise requires - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);

   (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;

   (c) "Commission" means the Chaattisgarh State Electricity Regulatory Commission constituted under section 82 of the said Act ;

   (d) "Drawing and Disbursing Officer" - means an officer designated as such by the Commission to draw amount form the fund as referred in Rule 5 and make payments on behalf of the Commission ;

   (e) "Fund" means the Fund established under section 103 of the said Act, for Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission to be maintained as per Rule 3 ;

   (f) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

   (g) "Member" means the member of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission ;

   (h) "Secretary" means Secretary of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission ;

   (i) " Financial year" means a period not exceeding twelve calendar months, commencing on 1 April of a year and concluding on subsequent 31 March;

   (j) "Form" means the forms appended to these rules;

(k) "Accounting period" means the period for which the accounts have to be prepared by the Commission and shall be concurrent with the Financial year.

(l) the words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).

3. **Establishment of fund:-** (1) The State Government hereby establishes a Fund to be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission Fund.

(2) The main account of the Fund shall be maintained in a Nationalised Commercial Bank and subsidiary accounts shall be maintained at such other branches of such banks, as the Commission considers appropriate.

(3) The Commission shall make available the specimen signatures of two of its officers as authorized signatories to the nominated bank for its information and record.

(4) The nominated bank (s) shall furnish daily payments and receipts scrolls to the Commission, which will ensure that the cheques appearing in the payment scrolls are those, issued by the Commission and reconcile each transaction with the bank(s).

4. **Constitution of the Fund :-** The fund shall comprise the following - (1) all grants and loans made to the Commission by the State Government under section 102 of the Act.

(2) All licence fees, petition fees, processing fees, fines, penalties received by the Commission under the Act.

(3) All sums received by the Commission from such other sources as may be decided upon by the State Government.

5. **Operation of the Fund:-** (1) The Fund shall be operated by the Drawing and Disbursing Officer of the Commission not below the rank of the Deputy Secretary, as may be disignated by the Chairperson from time to time. Withdrawal from the bank account shall be made only on presentation of a cheque signed by the drawing and disbursing officer and one other officer designated by the Commission.

(2) The drawing and disbursing Officer shall be responsible for proper monitoring of the receipts and payments on behalf of the Commission.

(3) The drawing and disbursing officer shall be responsible to ensure that the amounts of cheques/ demand drafts deposited in the accredited banks have been timely credited in the account of the Commission and shall also reconcile all the receipts and payments with them.

6. Budget :- The Commission shall prepare in each financial year its budget in Form I and Form II for the ensuing financial year showing the estimated receipts and expenses to be incurred by the Commission and forward the same to the Department of Energy of the State Govenment before 30 September of the current Financial Year.

7. Utilisation of the Fund :- (1) The Fund shall be applied for meeting the expenses of salaries, allowance, pension and other remunerations of the Chairperson, Members, Secretary, Officers and other employees of the Commission as provided in clause (a) of sub-section (2) of section 103 of the Act.

   (2) The Commission shall be entitled to utilise the Fund for meeting expenses requird in connection with discharge of its functions under section 86 of the Act and also for meeting the expenses on objects and for purposes authorized by the Act in accordance with the Budget for the financial year submitted by the Commission under Rule 6 above. The details of expenditure heads are given in the Schedule appended to these rules.

   (3) Any expenditure in excess of the approved budget shall be met by the Commission from its own resources.

   (4) After the end of financial year, the Commission shall submit the duly audited accounts to the State Government.

8. Delegation of Powers :- The Commission shall lay down detailed procedure for sanction of various items of expenditure and delegation of powers among the Commission, Chairperson and the Secretary of the Commission.

9. Accounts :- (1) The accounts of the Commission shall be maintained as per the provisions of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules, 2007.

   (2) The accounts of the Commission shall be authenticated by the Chairperson, one member dealing with the finance and the Secretary of the Commission.

10. Audit :- (1) The duly authenticated accounts of the Commission shall be sent to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) or any other person appointed by him within three months of the closing of the financial year. Any expenditure Incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him.

   (2) The Comptroller and Auditor General of India and any other person appointed by him in this connection with the audit of the accounts of the Commission shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as

the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(3) The accounts of the Commission as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the report thereon shall be forwarded annually to the State Government by 30 September of each year by the Commission to enable the Government to place the audit report before the Legislature as soon as may be.

11. Closure of the Fund :- (1) The fund shall remain operative so long as the relevant provisions of the Act remain in force.

(2) All the unspent balances under the Fund when the Fund is no longer required shall be remitted into the Government Account immediately after the closure of the Fund.

12. Miscellaneous:- In case of any doubt regarding interpretation of the Rules, or when express provision has not been made in the Rules about a particular matter, the same shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASISH DAS, Special Secretary.

21
62

SCHEDULE

Details of Expenditure Head as per Rule 7(2)

1. **Salary and Allowances**
   - 1.1 Pay & Allowances of Chairperson & Members
   - 1.2 Pay & Allowances of officers and establishments
   - 1.3 Pay & Allowances of Staff
   - 1.4 Honorarium
   - 1.5 Overtime Allowances
   - 1.6 Medical and health Care facilities
   - 1.7 Bonus
   - Any Other Establishment Charges (to be specified)

2. **Payment on Professional fees & Other Services**

3. **Travel Expenses**
   - 3.1 Domestic Travels - Chairman, Members & Other Officers Staff
   - 3.2 Foreign Travels - Chairman, Members & Other Officers Staff

4. **Other Administrative Expenses**
   - 4.1 Telephone and Fax
   - 4.2 Rent, Rate & Taxes
   - 4.3 News Paper Periodicals
   - 4.4 Advertisement and Publicity
   - 4.5 Postage and Telegram
   - 4.6 Liveries
   - 4.7 Water & Electricity
   - 4.8 Any other (to be specified)

5. **Stationery & Printing**
   - 5.1 Stationery
   - 5.2 Printing

6. **Publications**

7. Miscellaneous and other expenses –

8. Repair and Maintenance

8.1 Buildings

8.2 Machinery & Equipment

8.3 Furniture & Fixture

8.4 Vehicles

9. Petrol & Lubricants

10. Hospitality Expenses

11. Audit Fees

12. Legal Charges

13. Provident Fund & Other Contributions

13.1 Pension & Gratuity (including Commuted Value of Pension)

13.2 Contribution to CPF

13.3 Deposit Linked Insurance Scheme

13.4 Pension Contribution

13.5 Leave Salary Contribution

13.6 Gratuity Contribution

14. Interest

14.1 Interest on GPF

14.2 Interest on CPF

14.3 Any other (to be specified)

15. Group Insurance Scheme

15.1 CGEGIS Saving Fund

Insurance Fund

15.2 CGGIS Saving Fund
Insurance Fund

16. Depreciation

17. Loss on sale of Assets

18. Bad-debts written off

19. Excess of Income over Expenditure (Transferred to capital Fund Account)

20. Outstanding Expenses.

Form -I

(See Rule 6)

Revised Estimate for the year .... and budget Estimate for the year .... Of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.

Receipts	Actual for the year	Budget Estimate for the year	Revised Estimate for the year	Budget Estimate for the year
		Rs.	Rs.	Rs.
1. Grants from the State Government				
2. Loans from the State				
3. Fees,				
i) License Fees				
ii) Fees on Petition				
4. Penalties				
5. Earning from Investment				
6. Misc./Others				
Grand Total:				

the

the

Form - II
(see Rule 6)

Expenditure	Budget Estimate	Actual for the year	Revised Estimate for the year	Budget Estimate for the year
Salaries				
Pay				
Dearness Allowance				
House Rent and Other				
Adhoc bonus				
Misc. (Arrears of pay etc.)				
Total Salaries :				
Wages				
Travel Expenses				
Office Expenses				
Rent, Rates and Taxes				
Maintenance Major/Minor Work				
Payment for professional & Special Services				
Expenditure on				
Motor Vehicles				
Office Equipments				
Misc. other Pyaments				
Total				

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.